



लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक 18 जुलाई, 2018 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आक्रिमिक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	— अध्यक्ष
2. प्रो० उपेन्द्र नाथ द्विवेदी, प्रति कुलपति	— सदस्य
3. प्रो० पी०सी० मिश्रा, अधिष्ठाता, कला संकाय	— सदस्य
4. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	— सदस्य
5. प्रो० अमिता कन्नौजिया	— सदस्य
6. प्रो० दिनेश कुमार	— सदस्य
7. प्रो० राम मिलन	— सदस्य
8. श्री संजय मेधावी	— सदस्य
9. डॉ० रंगोली चन्द्रा	— सदस्य
10. डॉ० रंजना वैशम्पायन	— सदस्य
11. डॉ० देव नरायन श्रीवास्तव	— सदस्य
12. डॉ० ए०ए० फारुकी	— सदस्य
13. श्री एस०के०शुक्ल, सचिव	— सचिव

कार्यपरिषद अध्यक्ष मा० कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये आक्रिमिक बैठक आहूत किये जाने के कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया, तथा विश्वविद्यालय के नवीन संकाय इंजीनियरिंग एंव तकनीकी संकाय के क्रिया कलापों एंव उसकी उपलब्धियों से परिषद को अवगत कराया। इंजीनियरिंग संकाय की प्रगति एंव उन्नयन के लिये मा० कुलपति जी के विशेष प्रयास की परिषद ने सराहना करते हुये करतल ध्वनि से प्रशंसा की। तत्पश्चात् सभी सदस्यों द्वारा उनकी दूरगामी सोच एंव नेतृत्व में विश्वविद्यालय के प्रगति पथ पर अग्रसर होने की भावना व्यक्त की। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये कुलसचिव/सचिव कार्यपरिषद के अनुरोध पर मा० कुलपति जी, ने कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कुलसचिव /सचिव कार्यपरिषद ने अवगत कराया कि सहयुक्त महाविद्यालयों को रथायी सहयुक्तता प्रदान करने तथा अरथायी सहयुक्तता वाले महाविद्यालयों को अरथायी राहयुक्तता विस्तरण तथा रथायी सहयुक्तता प्रदान करने के लिये भी परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा जा रहा है।

दीर्घकाल से संचालित महाविद्यालयों के अरथायी सहयुक्तता विस्तरण के प्रकरणों पर कार्यपरिषद सदस्य श्री संजय मेधावी, व्यापार प्रशासन विभाग ने रथायी सहयुक्तता के रथन पर अरथायी सहयुक्तता विचारणीय होने की वस्तुस्थित जानने की जिज्ञासा की, जिसको उन्हें सचिव कार्यपरिषद द्वारा अवगत कराया गया। तदोपरान्त कार्यपरिषद की पूर्व बैठक दिनांक 19.06.2017 में अर्थदण्ड वसूल किये जाने के निर्णय के अनुसार वर्तमान में प्रस्तावित प्रकरणों पर समान रूप से ₹० ०१ लाख मात्र विलम्ब अर्थदण्ड लिये जाने पर विचार विमर्श किया तथा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद के सदस्य प्रो० दिनेश कुमार शिक्षा संकाय विभाग ने महाविद्यालयों को राहयुक्तता प्रदान किये जाने के लिये निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों को आनलाइन किये जाने का प्रस्ताव दिया, ताकि पूर्व में निरीक्षण मण्डल की आख्या पर उठे विवाद की

पुनरावृत्ति न होने पाये, सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। जिस पर मा० अध्यक्ष कार्यपरिषद ने कुलसचिव को तदनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया।

इसी सन्दर्भ में मा० कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों की सहयुक्तता से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये प्राप्त आवेदन में अग्निशमन विभाग की सहमति देखी जानी चाहिये तथा निरीक्षण में भी अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र तथा वारस्तविक रथापन की स्थिति को सत्यापित अवश्य कराना चाहिये। अग्निशमन प्रमाण पत्र के वर्षानुवर्ष नवीनीकरण कराये जाने की स्थिति का परीक्षण भी अवश्य कराये जाने का आदेश दिया गया, तथा अगामी एक माह में सभी सहयुक्त महाविद्यालयों से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश किये।

मद संख्या 01(क)— परिषद द्वारा मा० कुलपति महोदय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्नलिखित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालयों उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सहयुक्त महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों/निरीक्षण आख्या के परिप्रेक्ष्य में सहयुक्तता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा० कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :—

कुलपति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्नलिखित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों/पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सहयुक्त महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों/निरीक्षण आख्या के अनुसार सहयुक्तता प्रदान किये जाने की कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद की स्वीकृति से कार्यपरिषद अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर स्वीकृति प्रदान की।

क्रम सं०	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	सहयुक्तता
01.	गौतम युद्ध डिग्री कालेज लखनऊ	बी०कॉ०म०	सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण
02.	लखनऊ डिग्री कालेज, बाजनगर, दुबगगा, लखनऊ	बी०कॉ०म०	सत्र 2018-19 से स्थायी सहयुक्तता
03.	ए०क००जी० कालेज लखनऊ	बी०कॉ०म०	सत्र 2018-19 से स्थायी सहयुक्तता
04.	श्री कृष्ण दत्त एकेडमी, महाविद्यालय	बी०एस०री०	2018-19 से 03 वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता
05.	वनरथली ज्ञानपीठ गर्ल्स डिग्री कालेज लखनऊ	बी०ए० एवं बी०कॉ०म०	रात्र 2018-19 से स्थायी सहयुक्तता

मद संख्या 01 (ख)—कार्यालय द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थायी सहयुक्तता के प्रयोजनार्थ प्राप्त निरीक्षण आख्या के परिप्रेक्ष्य में निम्न महाविद्यालयों में उनके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में सहयुक्तता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत :—

कार्यालय द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थायी सहयुक्तता के प्रयोजनार्थ प्राप्त निरीक्षण आख्या के परिप्रेक्ष्य में निम्न महाविद्यालयों में उनके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में सहयुक्तता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण से कार्यपरिषद अवगत हुई तथा उनके सम्मुख अंकित आंशिक संशोधनों के साथ कृत कार्यवाही पर स्वीकृति प्रदान की।

क्रम सं०	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	सहयुक्तता	संशोधन
01.	सरदार पटेल इस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मोहनलालगंज,लखनऊ	बी०ए०एम०एस०	100 सीटों सहित सत्र 2017-18 से अस्थायी सहयुक्तता	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
02.	भालचन्द्र इस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट	बी०ए०स०सी० कृषि (दो सेवशन सहित)	सत्र 2018-19 से 04 वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
04.	सेट मंदर टेरेसा विधि महाविद्यालय	विधि पचवर्षीय	2018-19 से 05 वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
05.	इरटीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एण्ड कोर्पोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग	बी०बी०ए० एवं बी०कॉम० आनर्स	2018-19 से 03 वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
06.	गोयल इस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज महाविद्यालय	बी०ए०ए०	2018-19 से 03 वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
07.	शेरवुड कालेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेन्ट लखनऊ	बी०कॉम० एवं बी०कॉम० आनर्स	2018-19 के लिये विस्तारित	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
08.	बोरा इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट साइन्सेज	एम०कॉम०	सत्र 2018-19 से 02 वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
09.	नगर निगम डिग्री कालेज लखनऊ	बी०ए० एवं बी०कॉम०	सत्र 2018-19 के लिये विस्तारण प्रतिवर्ष 01 लाख रु० अर्धदण्ड सहित	रु० ०१ लाख अर्धदण्ड के साथ वर्ष 2018-19 हेतु विस्तारण इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि महाविद्यालय आगामी वर्ष तक स्थायी सहयुक्तता प्राप्त नहीं कर लेता हैं तो उसे पूर्व वर्ष से स्थायीकरण प्राप्त करने के वर्ष तक प्रतिवर्ष अर्धदण्ड देना होगा।
10.	बी०ए०स०ए०न०बी० पी०जी० कालेज	बी०कॉम०	सत्र 2018-19 के लिये प्रतिवर्ष 01 लाख रु० अर्धदण्ड सहित	रु० ०१ लाख अर्धदण्ड के साथ वर्ष 2018-19 हेतु विस्तारण इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि महाविद्यालय आगामी वर्ष तक स्थायी सहयुक्तता प्राप्त नहीं कर लेता हैं तो उसे पूर्व वर्ष से स्थायीकरण प्राप्त करने के वर्ष तक प्रतिवर्ष अर्धदण्ड देना होगा।
11.	श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन महाविद्यालय छोटा भरवारा गोमतीनगर लखनऊ	एम०कॉम० वाणिज्य एवं एम०ए० समाजशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र	सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण के सम्बन्ध में	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
12.	श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन महाविद्यालय देवरी रुखारा,बरक्षी का तालाब,लखनऊ	एम०कॉम० वाणिज्य एवं एम०ए०	सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया

		समाजशास्त्र एवं हिन्दी	सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
13.	इरम गल्स डिग्री कालेज लखनऊ	एम०ए८०	सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
14.	एग्जॉन माण्टेसरी गल्स डिग्री कालेज, कैम्पवेल रोड लखनऊ	बी०ए० बी०कॉ८०	सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
15.	डॉ० आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड लखनऊ	बी०ए० बी०लिव०	सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
16.	रामाकान्चन्तमहाविद्यालय, हनुमन्तपुर, इटौंजा, लखनऊ	बी०ए० बी०कॉ८०	बी० ८० पाठ्यक्रम का विस्तारण एवं बी०कॉ८० में कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयानुसार रु० ०१ लाख के अर्थदण्ड के साथ सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	बी०ए० पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 के विस्तारण पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं बी०कॉ८० पाठ्यक्रम में रु० ०१ लाख अर्थदण्ड के साथ विस्तारण।
17.	नर्वेश्वर डिग्री कालेज मल्हौर रोड चिनहट लखनऊ	बी०बी०ए० बी०कॉ८०	कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु रु० ०१ लाख के अर्थदण्ड के साथ सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	रु० ०१ लाख अर्थदण्ड के साथ विस्तारण प्रति पाठ्यक्रम के लिये।
18.	इरलामिया डिग्री कालेज, लालबाग, लखनऊ	बी०एस०सी०	कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु रु० ०१ लाख के अर्थदण्ड के साथ सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	रु० ०१ लाख अर्थदण्ड के साथ वर्ष 2018-19 हेतु विस्तारण इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि महाविद्यालय आगामी वर्ष तक स्थायी सहयुक्तता प्राप्त नहीं कर लेता हैं तो उसे पूर्व वर्ष से स्थायीकरण प्राप्त करने के वर्ष तक प्रतिवर्ष अर्थदण्ड देना होगा।
19.	राधेश्याम डिग्री कालेज, गंगागंज लखनऊ	बी०ए० बी०कॉ८०	कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु रु० ०१ लाख के अर्थदण्ड के साथ सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	रु० ०१ लाख अर्थदण्ड प्रति पाठ्यक्रम के साथ विस्तारण।
20.	अकबरी बैगम लॉ कालेज, गणेशपुर, रहमानपुर लखनऊ	विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय	विधिपंचवर्षीयमेविस्तारण एवं विधि त्रिवर्षीय में कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयानुसार रु० ०१ लाख के अर्थदण्ड के साथ सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	विधिपंचवर्षीयमें सत्र 2018-19 के विस्तारण पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं विधि त्रिवर्षीय में रु० ०१ लाख अर्थदण्ड के साथ विस्तारण।
21.	दिव्या सिंह मेमोरियल महिला महाविद्यालय, गहदेव, माल लखनऊ	बी०ए०	कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयानुसार रु० ०१ लाख के अर्थदण्ड के साथ सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	रु० ०१ लाख अर्थदण्ड के साथ विस्तारण।
22.	लखनऊ कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एजुकेशन लखनऊ	बी०बी०ए०	कार्यपरिषद के पूर्व निर्णयानुसार रु० ०१ लाख के अर्थदण्ड के साथ सत्र 2018-19 हेतु विस्तारण	रु० ०१ लाख अर्थदण्ड के साथ विस्तारण।

23.	सूर्यो कालेज ऑफ विजनेस मैनेजमेन्ट लखनऊ	बी0कॉम0	2018-19 से 03 वर्ष हेतु अरथायी सहयुक्तता	यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया
24.	मुगताज पी0जी0 कालेज डालीगंज लखनऊ	बी0 कॉम0	2018-19 के लिये विस्तारण	रु0 01 लाख अर्थदण्ड के साथ वर्ष 2018-19 हेतु विस्तारण इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि महाविद्यालय आगामी वर्ष तक स्थायी सहयुक्तता प्राप्त नहीं कर लेता हैं तो उसे पूर्व वर्ष से स्थायीकरण प्राप्त करने के वर्ष तक प्रतिवर्ष अर्थदण्ड देना होगा। अग्रिम प्रमाण पत्र आगामी एक माह में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
25.	लखनऊ डिग्री कालेज लखनऊ	बी0 ए0	2018-19 के लिये रु0 03 लाख के अर्थदण्ड के साथ विस्तारण	रु0 01 लाख अर्थदण्ड के साथ वर्ष 2018-19 हेतु विस्तारण इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि महाविद्यालय आगामी वर्ष तक स्थायी सहयुक्तता प्राप्त नहीं कर लेता हैं तो उसे पूर्व वर्ष से स्थायीकरण प्राप्त करने के वर्ष तक प्रतिवर्ष अर्थदण्ड देना होगा।

मद संख्या01(ग)— लखनऊ कालेज ऑफ कॉमर्स एण्ड एजुकेशन लखनऊ में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों बी0कॉम एंव बी0कॉम0 आनर्स में सत्र 2018-19 से प्रवेश स्थगित किये जाने तथा भविष्य में पुनः प्रवेश लेने से पूर्व विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना प्रवेश करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के समुख अनुमादनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ कालेज ऑफ कॉमर्स एण्ड एजुकेशन लखनऊ में प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों बी0कॉम एंव बी0कॉम0 आनर्स में सत्र 2018-19 से प्रवेश स्थगित किये जाने तथा भविष्य में पुनः प्रवेश लेने से पूर्व विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना प्रवेश करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या01(घ)— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय में शिक्षण कार्यों हेतु अनुबन्ध शिक्षकों के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई चयन समिति की संस्तुतियों के लिफाफे खोलना तथा चयन संस्तुतियों पर विचार किया गया एंव परिषद द्वारा निम्न अभ्यर्थियों के चयन पर अनुमोदन प्रदान किया :—

1. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)(सिविल इंजीनियरिंग) -02 पद) अनारक्षित विज्ञापन संख्या 01 / 2018
परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 22.06.2018 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें कोई भी अम्यर्थी असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)(सिविल इंजीनियरिंग) पद हेतु योग्य न पाये जाने के कारण उक्त पद को पुनर्विज्ञापित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)(कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग) -02 पद) अनारक्षित विज्ञापन संख्या 01 / 2018
परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 22.06.2018 को यथावत् स्वीकार किया तदानुसार अधिमानी क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग) अनारक्षित के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

(अ) श्री रोहित (सुल्तानपुर) चयनित अना०
(ब) पलक रिंघल(कानपुर) चयनित अना०
Waiting
(स) श्री चन्द्रभान सिंह (कानपुर)
(द) श्री जिरोन्द्र कुमार (मऊ)
3. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)(इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) -02 पद) अनारक्षित विज्ञापन संख्या 01 / 2018
परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 23.06.2018 को यथावत् स्वीकार किया तदानुसार अधिमानी क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) अनारक्षित के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

(अ) प्रियंका सिंह (सोनभद्र) चयनित अना०
(ब) डॉली शर्मा (लखनऊ) चयनित अना०
Waiting
(स) मोनिका सिंह (प्रतापगढ़)
4. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)(इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) -02 पद) अनारक्षित विज्ञापन संख्या 01 / 2018
परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 23.06.2018 को यथावत् स्वीकार किया तदानुसार अधिमानी क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) अनारक्षित के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

(अ) प्रीती सिंह (बस्ती) चयनित अना०
(ब) श्री रामू देवेश (बोकारो स्टील सिटी) चयनित अना०
Waiting
(स) श्री अर्जुन वर्मा (सन्त कबीर नगर)
- 4.(अ) असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)(मैथमेटिक्स) इंजीनियरिंग संकाय -02 पद) अनारक्षित विज्ञापन संख्या 01 / 2018
परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 24.06.2018 को यथावत् स्वीकार किया तदानुसार अधिमानी क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग संकाय) अनारक्षित के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

(अ) डॉ० खुशबू वर्मा (फैजाबाद) चयनित अना०
5. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)(गैकेनिकल इंजीनियरिंग) -02 पद) अनारक्षित विज्ञापन संख्या 01 / 2018

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 24.06.2018 को यथावत् स्वीकार किया तदानुसार अधिमानी क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) अनारक्षित के पद पर नियुक्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

(अ) कीर्ति श्रीवास्तव (बहराईच) चयनित अनां०

बैठक के अन्त में कुलसचिव/सचिव कार्यपरिषद द्वारा सभापति सहित बैठक में प्रतिभागी सभी सदस्यों का आभार/धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

S. Shukla

एस०क०शुक्ल
कुलसचिव / सचिव



प्रो० एस०पी०सिंह
कुलपति / अध्यक्ष